शादी रूपी संबंधों में महिलाओं के अधिकार व सुरक्षा

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम २००५ के तहत–महिलाओं को हर घरेलू संबंध में सुरक्षा का अधिकार है। धारा २(फ) घरेलू संबंध को परिभाषित करते हुए कहता है – 'घरेलू संबध' का अर्थ होगा साझे घर में साथ रहने वाले, या कभी साथ रह चुके लोग जिनमें खून का रिश्ता हो, या जो विवाहित हों, या जिनके बीच शादी रूपी संबंध हों, या जिन्हें गोद लिया गया हो, या जो संयुक्त परिवार की तरह साथ रह रहे परिवार के सदस्य हों :–

शादी रूपी संबंध की परिभाषा लचीली होनी चाहिए ताकि महिलाऐं सभी तरह के अधिकार व सुरक्षा प्राप्त कर सके। भारत में अनेक प्रकार के शादी रूपी संबंध पाए जाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के अनुसार परिवार को विकसित रूप से परिभाषित करना आवश्यक है।

परिवार, कानून, धर्म, रीति–रिवाज़, क्षेत्रीय प्रथाओं व व्यक्तिगत चयन के आधार पर बनते हैं। परिवार का चाहे जो रूप हो, मानव अधिकार कानून के अंतर्गत हर महिला को हर परिवार में समानता, न्याय और घरेलू हिंसा से सुरक्षा मिलनी चाहिए।

वास्तव में परिवार विभिन्न व विविध अवधारणाओं पर बनते हैं। अतः हमें महिलाओं के अधिकार व सुरक्षा राज्य व कानून द्वारा परिभाषित परिवारों में सीमित न रखकर इसे व्यापक रूप से समझना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतः

महिलाओं पर हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र विशेष रैपोर्टियुर ई/सीएन ४/१९९६/५३, पैरा २५

महिलाओं से भेदभाव उन्मूलन समिति (सीडॉ) पर सामान्य टिप्पणी २१ (१९९४) पैरा १३

नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र की धारा २३ पर सामान्य टिप्पणी १९ (१९९०), पैरा २

घरेलू हिंसा पर आदर्श कानून की रूपरेखा, महिला हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र विशेष रैपोर्टियुर, ई/सीएन ४/१९९६/५३ संलग्नक २, भाग २, उपभाग बी, पैरा ७

PLD
Partners for Law in Development
www.pld.org